

कार्यालय परियोजना संचालक

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
प्लॉट नं. 27-28 निर्माण भवन, अरेरा हिल्स भोपाल(म.प्र.)

Website: www.mp.gov.in/pwdmp email:- pdpiubho@mp.gov.in

Phone-0755-2551341

क्र. एफ 1-4/2015/सं.नि./स्था.-4/पी.डी.

भोपाल दिनांक /03/2016

प्रति,

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
बानगंगा रोड
भोपाल।



विषय:- मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अंतर्गत संविदा आधार पर भरे जाने वाले पद का विज्ञापन।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत एक विज्ञापन का विवरण तैयार कर आपकी ओर संलग्न कर भेजा जा रहा है। कृपया इस विज्ञापन को राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों (एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, व इस कार्यालय को विज्ञापन प्रकाशन की तिथियों से एवं समाचार पत्रों के नाम से अवगत कराने का कष्ट करें।

सहपत्र:- छै: प्रारूप।

(विजय सिंह वर्मा)

परियोजना संचालक

लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल

पृ. क्र. एफ 1-4/2015/सं.नि./स्था.-4/पी.डी./308 भोपाल दिनांक 14/03/2016
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग का उनके पत्र क्र. एफ 1-62/2012/स्था./19 भोपाल दिनांक 29.10.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आई.टी.आई. सेल कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल, कृपया विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर तत्काल प्रभाव से अपलोड करें।

व्यक्ति

15/3/16

I.T. Cell

& Kummer
प्रमुख सचिव अपलोड करें

परियोजना संचालक
लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल

कायालय पारयाजना सचालक

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
प्लॉट नं. 27-28 निर्माण भवन, अरेरा हिल्स भोपाल(म.प्र.)

Website: www.mp.gov.in/pwdmp email:- pdpiubho@mp.gov.in

Phone-0755-2551341

// संविदा नियुक्ति //

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई की स्थापना के स्वीकृत पद को संविदा नियुक्ति से भरा जाना है, ये पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है, संविदा नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं शर्त निम्न प्रकार है:-

शासन, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. में संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों का

क्र.सं.	मासिक वेतन	पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता एवं पात्रता	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	चयन का तरिका
2	3	4	5	6	7	8
स्ट्रक्चरल इंजीनियर	रु. 60,000/- (रु. साठ हजार)	01 (अनु. जनजाति)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ई./एम.टेक (स्ट्रक्चरल) एवं कम्प्युटर पर स्टेड प्रो ऑटोकेड आदि में स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाने का 06 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	60 वर्ष	विभाग द्वारा चयन समिति के माध्यम से
स्ट्रक्चरल इंजीनियर	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार)	02 (एक पद अनु.जाति एक पद अनु. जनजाति)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ई./एम.टेक (स्ट्रक्चरल) एवं कम्प्युटर पर स्टेड प्रो ऑटोकेड आदि में स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाने का 02 वर्ष का अनुभव ।	25 वर्ष	60 वर्ष	तदैव
परामर्शी वास्तुविद्	रु. 50,000/-	01 (अनु. जनजाति)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि एवं वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन वैध पंजीयन के साथ ही वास्तुविद् के रूप में 02 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्युटर साफ्टवेयर पर टू तथा थ्री डायोमेशन्स डिजाईन एवं ड्राइंग बनाने की योग्यता।	25 वर्ष	60 वर्ष	विभाग द्वारा चयन

टिप्पणी:- (अ) इस अनुसूची के कॉलम (2) के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट किनेस पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनके सेवा में कार्य सम्पन्न उपयुक्तता के आधार पर 63 वर्ष तक की आयु तक संविदा चयन हेतु विचार में लाने जा सकते हैं।

4) एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्त के समय प्राप्त वेतन में पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी, वह राशि संविदा पारश्रमिक के रूप में देय होगी। इस संविदा पारश्रमिक पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। पेंशन पृथक् से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।

आवेदन की शर्त:-

1. आवेदक को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो-युक्त विस्तृत बायोडाटा, अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान एवं पदस्थापना आदेश एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन भेजने हेतु आवेदन प्रपत्र विभाग की [website: www.mppwd.gov.in](http://www.mppwd.gov.in) पर प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन सीधे परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई निर्माण भवन, प्लॉट न. 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र) को दिनांक 15.04 2016 तक सभी दस्तावेजों सहित सिर्फ स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। डाक की देरी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
3. संविदा नियुक्ति के संबंध में म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
4. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग संविदा सेवा नियम-2014 का पालन किया जावेगा जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 419 दिनांक 10 सितम्बर 2014 को नोटीफाई किया गया है एवं www.gov.pressmp.nic.in पर उपलब्ध है।

परियोजना संचालक
लोकनि. पी.आई.यू. भोपाल

